(20)

संख्या–851/1–4–08–82

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0,लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–4

लखनऊः दिनांक: 17

विषयः–भारत सरकार की वित्तीय सहायता से प्रदेश के 6 जनपदों में पाइलट बेसिस पर कियान्वित की जा रही ई–डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के क्रि... संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अर्द्ध ... पत्र संख्या–251/78–2–2008/9–आई0टी0/06 दिनांक 14.2.2008 ... संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ... प्लान के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 6 जनपदों ... गौतमबुद्धनगर,गाजियाबाद,सुल्तानपुर,गोरखपुर,सीतापुर एवं रायबरेली ... परियोजना पाइलेट रूप में लागू की जा रही है, जिसके सफलतापूर्वक किया... के उपरान्त इसे राज्य के समस्त जनपदों में लागू किया जाना प्रस्तावित ...

3– ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत राजस्व विभाग से संबंधित निम्नलि... को जारी करना, इसकी सेवाओं की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनसा... को उपलब्ध कराया जाना हैः–

1. आय प्रमाण–पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) जारी किया जाना।
2. जाति प्रमाण पत्र(मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) जारी किया जाना।
3. सामान्य निवास प्रमाण पत्र (General domicile certificate) (मूल प्रति ... डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।
4. कम्प्यूटरीकृत खतौनी (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत करना।
5. राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यावधिक स्थिति (latest case details) दैनिक काज लिस्ट (daily cause list) तथा अन्तिम निर्णय (final order) की प्रति उपलब्ध कराना।
6. राजस्व देयों को वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति एवं इसमें संशोधन/परिवर्तन से अवगत कराना।

2

उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने हेतु निम्नलिखित प्रकियात्मक परिवर्तन किये जाने हेतु शासन सहमत है:–

1. उल्लिखित सेवाओं से संबंधित प्रार्थना पत्र (Prescribed Application Forms) कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) में आपरेटर द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करना तथा उनके माध्यम से प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करवाया जायेगा।
2. आवेदन पत्रों का निस्तारण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से एक निर्धारित एवं निश्चित समय सारणी के अंतर्गत सम्बन्धित स्तरों (अधिकारी/कार्यालय) द्वारा सम्पन्न किया जायेगा तथा इस समय सारणी में यदि विलम्ब होता है तो Escalation Matrix के अनुसार व्यवहरित होगा।
3. कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) जनपद के विभिन्न स्थानों में संबंधित कन्सलटेन्ट कम्पनियों द्वारा स्थपित किये जायेंगे।
4. प्राप्त/पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में लिये गये निर्णय/जारी प्रमाण पत्र भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्था द्वारा अधिकृत होकर आवेदक को उपलब्ध/सूचित कराये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त मण्डलायुक्तों/समस्त जिलाधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यकतानुसार विस्तृत गाइड लाइन्स जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या –851(1)/1–4–08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव,आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग।
2. स्टाफ आफिसर, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।